

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ।
पीठासीन अधिकारी :- अशोक असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 63/2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम

सलीम पुत्र यासिन खां निवासी वार्ड नं0 18, हनुमानगढ टाउन तह0 हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थित:- 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता ।

2 श्री जितेन्द्र सारस्वत, मनोज शर्मा आदि अप्रार्थी अधिवक्ता ।

-:निर्णय:-

दिनांक:- 07.07.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल-डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरुद्ध अभियान के तहत हनुमानगढ टाउन में TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 को रूकवाकर तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 900 लीटर डीजल मय 04 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैंनी मिली। वाहन चालक ने स्वयं का नाम सलीम पुत्र यासिन खां उम्र 40 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 18, किले वाली मस्जिद के पास, हनुमानगढ टाउन का होना बताया। मुताबिक सलीम उक्त वाहन में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 900 लीटर डीजल मय 04 ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैंनी के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 900 लीटर डीजल मय 04 ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैंनी तथा TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री लालचन्द पुत्र मोहनलाल उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी हरासर जिला चुरू को सुपुर्दगी में दिया गया गया। इस प्रकार सलीम पुत्र यासिन खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 18, किले वाली मस्जिद के पास, हनुमानगढ टाउन द्वारा मोटर स्पिंट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 मय 900 लीटर डीजल मय 04 ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैंनी को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 17.6.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी वाहन का मालिक है, जो किराए पर माल परिवहन करता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्त 900 लीटर डीजल राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति भण्डार कर सकता है। अप्रार्थी से जब्त डीजल राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रति व्यक्ति भण्डार क्षमता से कम है। अप्रार्थी द्वारा बताया कि उक्त डीजल कृषि भूमि व ट्रैक्टर में उपयोग हेतु लाया गया है। अप्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी का वाहन थाना परिसर में खड़ा रहने से उसके टायर-टयूब, रंग-रोगन के खराब होने की संभावना है, जिससे अप्रार्थी के नापूरा होने वाला

नुकसान होगा। उक्त वाहन सुपुर्दगी में लेना चाहता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध स्टेट की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 मय 900 लीटर डीजल मय 04 ड्रम एव 1 प्लारिस्टिक कैंनी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी वाहन का मालिक है, जो किराए पर माल परिवहन करता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्त 900 लीटर डीजल राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति भण्डार कर सकता है। अप्रार्थी से जब्त डीजल राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रति व्यक्ति भण्डार क्षमता से कम है। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त डीजल कृषि भूमि व ट्रेक्टर में उपयोग हेतु लाया गया है। अप्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी का वाहन थाना परिसर में खड़ा रहने से उसके टायर-ट्यूब, रंग-रोगन के खराब होने की संभावना है, जिससे अप्रार्थी के नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल, वाहन के समस्त कागजात अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी ने यह भी सिद्ध नहीं किया कि उसके पास खुद के नाम कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने कोई ट्रेक्टर के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब प्रस्तुत करते समय भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, लेकिन उक्त दस्तावेज मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 900 लीटर डीजल मय 04 ड्रम एव 1 प्लारिस्टिक कैंनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 17.06.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरुद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन TATA ACE No. RJ-21-GA-2179 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ